

3-6-22

पत्रावली पेश हुई वकील प्राधी उमस्धित प्रकरण
में पत्थर गद्दी करायालना रियोर्ट के इन्तजार में थी।
प्रकरण का गहन अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ
प्रकरण की उक्त आराजी का प्र.स. 84/15 व
अनवान रमजान बनाम मेसूदा का पहले से
ही न्यायालय में विचाराधिन है। उक्त आराजी
की न्यायालय के आदेशानुसार पत्थर गद्दी कार्यवाही
पूर्ण कर दी गई है। जिससे प्र.स. 84/15 व अनवान
रमजान बनाम मेसूदा पत्थर गद्दी होने से फैसल हो
चुकी है। चूंकी इस प्रकरण की आराजी स. 13.78, 1379
1380, 1384, 1385, 1388, 1389, कुल कितना 7 कुल
रकबा 1.30.30 है भी एक ही होने से एक ही आराजी
व एक ही रकबा की पत्थर गद्दी दो बार नहीं की जा
सकती है। अतः प्रा.प्र. खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

